न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता
पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2 / 108 / 16

अनुवान– 1 गंगाधर पुत्र परता जाति गुर्जर निवासी श्यालुता तहसील राजगढ

:– प्रार्थी

बनाम

1. बालजी पुत्र अक्खाराम जाति बंजारा निवासी गांव नांगल चौकी श्यालुता
2. हरी पुत्र अक्खाराम जाति बंजारा निवासी गांव बंजार की ढाणी सैंथल
3. श्रवण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी श्यालुता

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

05.06.2018:–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत श्यालुता पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण मे इकतरफा बहस सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 2132 / 0.89, 2133 / 2197 / 0.10 है0 वाके ग्राम श्यालुता तहसील राजगढ के बाबत दिनांक 05.07.2016 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 02.08.2016 तक के लिये आराजी विवादित की मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, तथा अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किया गया है।

अप्रार्थी की और से वकील दिनांक 02.08.2016 को उपस्थित न्यायालय होने के उपरांत भी उनकी और से जवाब प्रार्थना पत्र कई मौके दिये जाने के बाद भी पेश नही किया गया है।

मैने पत्रावली का स्वप्ररेणा से वास्ते निर्णय अवलोकन व निरीक्षण किया, प्रार्थी की और से प्रस्तुत दस्तावेज फोटोप्रति जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम श्यालुता तहसील राजगढ खाता संख्या 451 का अवलोकन व निरीक्षण किया गया प्रस्तुत रिकार्ड से अप्रार्थीगण की प्रथम दृष्टया खातेदारी होना साबित नही है अप्रार्थी की और से वकील दिनांक 02.08.2016 को उपस्थित न्यायालय होने के उपरांत भी उनकी और से जवाब प्रार्थना पत्र कई मौके दिये जाने के बाद भी पेश नही किया गया है। प्रकरण में टी.आई आदेश 05.07.2016 से प्रभावी चल रहे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिज स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है किः–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. विवादित आराजी खसरा नं.2132 / 0.89, 2133 / 2197 / 0.10 है0 वाके ग्राम श्यालुता तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है, तथा इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 05.07.2016 ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट श्यालुता तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत श्यालुता